

आदर्शन,

सवित्र, प्रविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश राजनगर।

संख्या:- प्रशिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/13637

तखनन:- दिनांक: 09/08/2021

आदर्शन प्राप्त:-

सवित्र भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली-समाजकी काउन्सिल अधि इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैदिक सन 2021-22 हेतु विद्यार्थी कक्षाओं तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के तदनुसार प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राजनगर में सम्बद्धता सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संचाल हुई। बैठक में सवित्री द्वारा सन 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में सवित्रीय संस्थाओं को सम्बद्धता विचार: पर्यवेक्षण: प्रवेश क्षमता: इच्छित अधिकतम छात्रों का विचार करने हेतु सन 2021-22 हेतु सम्बद्धता: सम्बद्धता: विचार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विवेचन एवं निर्णय के अनुसार नई सिद्ध संस्था को प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राजनगर द्वारा सन 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पर्यवेक्षण एवं प्रवेश क्षमता अधिकतम छात्रों का विचार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2760-SHRI RAJENDRA SINGH COLLEGE OF PHARMACY, SAIDPUR, HARDOI

क्रमांक:-	पठ्यक्रम का नाम	एनआईटी/पीटी/आईआई/आईआईटी/आईआईटी/आईआईटी/आईआईटी द्वारा सन 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सन 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
T	DIPLOMA IN PHARMACY	80	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एनआईटी/पीटी/आईआई/आईआईटी/आईआईटी/आईआईटी/आईआईटी से निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद (एन: 1982) तथा प्रविधिक शिक्षा परिषद विनियमवर्ती: 1982, संशोधन विनियमवर्ती:2018 तथा अन्य निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क वीस वर्षीय इंजीनी पर्यवेक्षण हेतु रु० 20150.00/-, प्रविधिक, वी वर्षीय कार्यवाही पर्यवेक्षण हेतु रु०-45000.00/-, प्रविधिक एवं एक वर्ष की कार्य पर्यवेक्षण (दो वर्षीय कार्यवाही पर्यवेक्षण के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/-, प्रविधिक शुल्क ही पर्यवेक्षण पर्यवेक्षण से प्राप्त किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ पर्यवेक्षणों में शुल्क के संबंध में समस्त संस्था पर पर्यवेक्षण द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले पर्यवेक्षण प्रश्नों होंगे, और अनुमति पूर्व निर्धारित किया गया अवकाश होगा। वीस निर्धारित समिति द्वारा सन 2021-22 हेतु प्रवेश का पुनर्विचार किया जाता है, तो पर्यवेक्षण वीस वर्षीय पर्यवेक्षण पर्यवेक्षण करें लगे होंगे।
- ✓ संस्था को उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद (एन: 1982) तथा अन्य शर्तों के सम्बद्धता किया जाता, विनियमवर्ती:2006 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करके कर ही पर्यवेक्षण दिया जाएगा। शर्तों के विचार रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की-कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को सलाह-समर्थन पर निर्दिष्ट शरतों के अनुसार निर्धारित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को एनआईटी/पीटी/आईआई/आईआईटी/आईआईटी/आईआईटी से निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रवेश पर्यवेक्षण द्वारा कल्पित गये विनियमवर्ती: अधीनस्थ-संस्था-पर्यवेक्षणों एवं निर्देशक, प्रविधिक शिक्षा: 2006, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा कल्पित गये विनियम, विनियम, शर्तों के सम्बद्धता करने के लिए बाध्य होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन कार्यवाही पर्यवेक्षण की संस्था पर्यवेक्षण पर्यवेक्षण नई दिल्ली में अनुमोदन प्रदान करने में अवकाश रखती है जो इन संस्था में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विनियम रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था बाध्य उत्तरदायी होगी। प्रविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रविधिक शिक्षा विनियमन एवं प्रविधिक शिक्षा विचार उत्तर प्रदेश सरकार को कोई भी शुल्क जमा किया जाता है तथा उत्तर प्रदेश के संस्था में या पर्यवेक्षण द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी शर्तों निर्दिष्ट किया जाता है तो समस्त प्रतिवृत्ति संबंधित संस्था को करना होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन कार्यवाही पर्यवेक्षण संवर्धित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश पर्यवेक्षण द्वारा प्रवेश पर्यवेक्षण के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रदान होने के पूर्व एनआईटी/आईआईटी/आईआईटी द्वारा कर पर्यवेक्षण कार्यवाही को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के सम्बद्धता से संबंधित संस्था रूप में संबंध प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट नवीनतम अवकाश निर्धारित का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सुचनाएं विवेक-संस्था की विनियमित सूत्रें भूमि, स्टाफ, बाध्य-संस्था, उत्तरदायित्व, प्रवेश किया जाने वाले शुल्क, उत्तरदायित्व शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायित्व उत्तरदायित्व उत्तरदायित्व करने के लिए शर्तों को-संस्था में समस्त आवश्यक संसाधन सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर प्रतिवृत्ति हो ले कि संस्था में प्रविधिक संबंधित पर्यवेक्षण को चलाने वाले हेतु निर्धारित समिति के समस्त उत्तरदायित्व करवा गये अधिवक्ता, भूमि-संस्था, पर्यवेक्षण, उत्तरदायित्व समिति का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पर्यवेक्षण के सम्बद्धता में प्रयोग किया जाता है और परिषद को सूचनाएं उपलब्ध होती है कि संस्था उत्तरदायित्व का प्रदान किसी अन्य शर्तों के लिए कर रही है तो अवकाश संस्था को सम्बद्धता सम्बद्धता निर्णय करने की अनुमति नहीं प्रवेशेगी।
- ✓ संस्था के सार्वजनिक विवरण द्वारा यदि संस्था में भूमि, भवन, पर्यवेक्षण, उत्तरदायित्व एवं अन्य सार्वजनिक एनआईटी/पीटी/आईआई/आईआईटी/आईआईटी/आईआईटी के सम्बद्धता उत्तरदायित्व नहीं प्राप्त करता है तो संस्था को सम्बद्धता सम्बद्धता कर दी जाएगी।

